IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-85/17

MUNSHI LAL RAM & OTHERS....................................PLAINTIFFS

Vs.

SHRAVAN KUMAR RAI & OTHERS.................................DEFENDANTS

10.12..19 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। पुकार पर उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के आवेदन दिनांक– 03.04.19 पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि विवादित भू–भाग से संबंधित केवाला नबिस्ते प्रतिवादी संख्या–2 बनाम अन्य प्रतिवादीगण, का नामांतरण न करने एवं राजस्व रसीद न काटने हेतु अंचलाधिकारी पटोरी को अंतर्गत धारा–80 सी0पी0सी0 का नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी अंचलाधिकारी पटोरी प्रतिवादीगण के नाम से मालगुजारी रसीद काटने पर अमादा है, लेहाजा अंचलाधिकारी पटोरी को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–8 के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर No Objection दर्ज किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं अपने आवेदन के समर्थन में वादी द्वारा अंतर्गत धारा–80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिनांक– 16.08.17 तथा दिनांक– 12.10.18 की प्रति दाखिल की गई है। अतः प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। तदनुसार अंचलाधिकारी पटोरी को ~~[illegible]~~ प्रतिवादी संख्या–8 के रूप में वादपत्र में दर्ज करें।

दिनांक– 14.01.2020 वास्ते अग्रतर कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश